18

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 2012/आश्विन 30, 1934
No. 539] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2012/ASVINA 30, 1934

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 780(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 10 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप महानिदेशक, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई), विद्युत मंत्रालय के पद पर नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों, जो मिशन निदेशालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी, का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.–(1) इन नियमों का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो उप महानिदेशक (एनएमईईई) की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें नियम, 2012 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
2. **परिभाषाएं**.–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
   (क) ''अधिनियम'' ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010 से यथा संशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
   (ख) ''नियुक्ति प्राधिकरण'' द्वारा ब्यूरो अभिप्रेत है;
   (ग) ''मिशन निदेशालय'' से अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है;
   (घ) ''मिशन निदेशक'' से ब्यूरो महानिदेशक अभिप्रेत है;
   (ङ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
   (च) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है; और
   (छ) इसमें प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो कमशः उनके अधिनियम में हैं।
3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**.– पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं**.–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**.–वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**.–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके कारण लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**.–इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

16

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	पै बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप महानिदेशक (तकनीकी)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" अननुसचिवीय–तकनीकी	पीबी 4– ₹ 37,400–67,000 +ग्रेड पे ₹ 10,000	लागू नहीं	* 50 वर्ष से अनाधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी अधिकारियों के लिए 5 वर्षों तक की छूट दी जा सकती है)
					* टिप्पण : आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उप मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या संघ शासित लक्षद्वीप से आवेदन प्राप्त होने की तारीख)

15

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)
अनिवार्य– (i) भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र या अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या कारबार या वित्त या औद्योगिक अर्थशास्त्र या ऊर्जा आयोजना और अर्थशास्त्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक डिग्री; (ii) सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं, स्वायत्त या कानूनी संगठनों में अनुसंधान या विकास या डिजाइन या औद्योगिक या शैक्षिक कार्यकलापों का न्यूनतम सोलह (16) वर्षों का अनुभव प्राप्त। वांछनीय– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र या अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या कारबार या वित्त या औद्योगिक अर्थशास्त्र या ऊर्जा आयोजना और अर्थशास्त्र और इंजीनियरी में डाक्टरेट डिग्री। (ii) ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में डाक्टरोत्तर अनुसंधान कार्य या अनुभव। (iii) सभी राष्ट्रीय ऊर्जा सम्भाव्य पहलुओं के महत्व ऊर्जा के क्षेत्र में और देश में ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन के लिए सरकार की नीतियों की संपूर्ण जानकारी रखने वाला व्यक्ति; (iv) अनिवार्य अर्हताओं के अंतर्गत ऊपर (ii) में उल्लिखित 16 वर्षों के अनुभव में से ऊर्जा आयोजना या ऊर्जा प्रबंधन में ज्येष्ठ स्तर पर कम से कम 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए ताकि ऊर्जा दक्षता में लागत प्रभावी सुधारों, ऊर्जा संरक्षण, जिसमें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत ऊर्जा गहन वृहत उद्योगों में ऊर्जा बचत स्कीमों और ऊर्जा दक्षता प्रणालियों को लागू करना शामिल है, का संवर्धन किया जा सके।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होती है या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	सीधे भर्ती के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण, द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा या स्थानांतरण किया जाना है।

(11)

प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा :

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या विश्वविद्यालयों, या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत या कानूनी संगठनों में अधिकारी

(i) ऊपर (क) में उल्लिखित मूल संवर्ग या विभाग या संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों, या

(ii) ऊपर (क) में उल्लिखित मूल संवर्ग या विभाग में पीबी 4–₹ 37,400–67,000/– के वेतनमान में ₹ 8,700 या समतुल्य ग्रेड पे सहित, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा रखते हों।

(ख) स्तम्भ –7 के अंतर्गत सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी।

14

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय चयन समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से किन परिस्थितियों में विचार विमर्श किया जाना है।
(12)	(13)
विभागीय चयन समिति में शामिल हैं– 1. सचिव, विद्युत मंत्रालय ....अध्यक्ष 2. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ....सदस्य 3. अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय ....सदस्य 4. कुलपति टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ....सदस्य 5. महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ....सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से विचार–विमर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप महानिदेशक (वित्त)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" अननुसचिवीय–तकनीकी	पीबी 4– ₹ 37,400–67,000 +ग्रेड पे ₹ 10,000	लागू नहीं	* 50 वर्ष से अनाधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी अधिकारियों के लिए 5 वर्षों तक की छूट दी जा सकती है)
					* टिप्पण : आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उप मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या संघ शासित लक्षद्वीप से प्राप्त होने की तारीख)

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)

अनिवार्य–

(i) अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या कारबार या वित्त या औद्योगिक अर्थशास्त्र या ऊर्जा आयोजन और अर्थशास्त्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री;या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी और कारबार में स्नातक डिग्री;

(ii) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों या विश्वविद्यालयों या वित्तीय संस्थाओं या स्वायत या कानूनी संगठनों में वित्तीय मामलों या औद्योगिक निधीयन गतिविधियों में न्यूनतम सोलह (16) वर्षों का अनुभव।

वांछनीय–

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या कारबार या औद्योगिक अर्थशास्त्र या ऊर्जा आयोजना और अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की डिग्री; या

(ii) वित्तीय साधनों पर कार्य करने में संस्थाओं या संगठनों में कार्य करने का अनुभव;

(iii) सभी राष्ट्रीय ऊर्जा सम्भाव्य पहलुओं के महत्व ऊर्जा के क्षेत्र में और देश में ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन के लिए सरकार की नीतियों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए;

(iv) अनिवार्य अर्हताओं के अंतर्गत ऊपर (ii) में उल्लिखित 16 वर्षों के अनुभव में से ऊर्जा दक्षता में या ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं या विकास में निधीयन या ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए नए निधीयन के लिए वित्तीय कियाविधि के संवर्धन में दो वर्ष का ज्येष्ठ स्तर पर अनुभव।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	सीधे भर्ती के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा अन्यथा सीधे भर्ती द्वारा

(11)

प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा :

(ख) केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों, या विश्वविद्यालयों, या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत या कानूनी संगठनों में अधिकारी

(iii) ऊपर (क) में उल्लिखित मूल संवर्ग या विभाग या संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों, या

(iv) ऊपर (क) में उल्लिखित मूल संवर्ग या विभाग में पीबी 4–₹ 37,400–67,000/– के वेतनमान में ₹ 8,700 या समतुल्य ग्रेड पे सहित, नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा।

(ग) स्तम्भ –7 के अंतर्गत सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय चयन समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से किन परिस्थितियों में विचार विमर्श किया जाना है।
(12)	**(13)**
विभागीय चयन समिति में शामिल हैं– 1. सचिव, विद्युत मंत्रालय ....अध्यक्ष 2. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ....सदस्य 3. अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय ....सदस्य 4. कुलपति टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ....सदस्य 5. महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ....सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 10/3/2010–ई.सी.]

ज्योति अरोड़ा, संयुक्त स

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2012

G.S.R. 780(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 56 read with sub-section (2) of section 10 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules for regulating the appointment and other terms and conditions of service to the posts of Deputy Director General, National Mission for Enhanced Energy Efficiency(NMEEE), Ministry of Power, to be implemented by the Mission Directorate, Bureau of Energy Efficiency, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency Appointment and Terms and Conditions of Service of Deputy Director General (NMEEE) Rules, 2012.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) as amended by the Energy Conservation (Amendment) Act, 2010;

(b) "Appointing Authority" means the Bureau ;

(c) "Mission Directorate" means the Bureau of Energy Efficiency set up under section 3 of the Act;

(d) "Mission Director means Director-General of the Bureau

(e) "section" means a section of the Act;

(f) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules; and

(g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Number of posts, classification, and scale of pay.- The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4019 GI/12-3

5. Disqualifications.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade pay/Pay scale	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director General (Technical)	1	General Central Service Grade "A" Non-Ministerial.-Technical	PB4 - Rs.37400-- 67000 +Grade Pay Rs.10,000.	Not applicable	*Not exceeding 50 years. (Relax able for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) *Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland ,Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits
(7)
Essential - (i)Master's Degree in Physics or Chemistry or Economics or Applied Economics or Business or Finance or Industrial Economics or Energy Planning and Economics from a recognized University; or Bachelor' Degree in Engineering from a recognized University; (ii)Minimum of sixteen (16) years of experience in research or development or design or industrial or academic activities in Government Departments, Public Sector Undertakings, Universities, or Research Institutions, Autonomous or Statutory Organizations. Desirable - (i) Doctorate Degree in Physics or Chemistry or Economics or Applied Economics or Business or Finance or Industrial Economics or Energy Planning and Economics or Engineering from a recognized University. (ii) Post Doctorate research work or experience in the field of energy management, energy efficiency or energy conservation. (iii) Person having over all perspective of National Energy Issues and Policies of the Government in the field of energy and for promotion of Energy Efficiency and its Conservation in the country; (iv) Of the 16 years of experience referred to in (ii) above under the Essential qualifications, two (2) years be at a senior level in energy planning or energy management to enhance cost effective improvements in energy efficiency, energy conservation including administration of energy saving schemes and energy efficient systems in energy intensive large industries under the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001).

Whether age, educational Qualifications prescribed for direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year for direct recruits.	By deputation or short-term contract failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transferor short-term contract is to be made.
(11)
Deputation or short-term contract : (a) Officers of Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings, or Universities, or Recognized Research Institutions, or Autonomous or Statutory Organizations. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department or organizations referred to in (a) above; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of PB 4-Rs 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700 or equivalent, in the parent cadre or Department or organizations referred to in (a) above. (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

4019 GI/12-4

6

Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Selection Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
The Departmental Selection Committee consists of- 1. Secretary, Ministry of Power.................................Chairperson 2. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy......Member 3. Additional Secretary, Ministry of Power ....Member 4. Vice-Chancellor, TERI (The Energy and Resources Institute) University, New Delhi..Member 5. Director-General, Bureau of Energy Efficiency..........Member.	Consultation with the Union public Service Commission is not necessary.

1	2	3	4	5	6
Deputy Director General (Finance)	1	General Central Service Grade "A" Non-Ministerial.- Technical	PB4 -Rs.37400- 67000 +Grade Pay Rs.10,000.	Not applicable	*Not exceeding 50 years. (Relax able for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)
					*Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland ,Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory Lakshadweep).

4019GI/12-5

(7)
Essential (i) Master's Degree in Economics or Applied Economics; or Business or Finance or Industrial Economics or Energy Planning and Economics from a recognized University; or Bachelor' Degree in Engineering and Business from a recognized University; (ii)Minimum of sixteen (16) years of experience in financial matters or industrial financing activities in Government Departments or Public Sector Undertakings, or Universities or Financial Institutions or Autonomous or Statutory Organizations. **Desirable** (i) Doctorate Degree in Economics or Applied Economics or Business or industrial Economics or Energy Planning and Economics from a recognized university ; or (ii)Experience in working in Institutions or Organizations handling financial instruments. (iii) Person having over all perspective of National Energy Issues and Policies of the Government in the field of energy and for promotion of Energy Efficiency and its Conservation in the country. (iv) Of the 16 years of experience referred to in (ii) above under the Essential qualifications, two (2) years at a senior level in financing of energy efficiency or energy related projects or development or promotion of financing mechanism for innovative financing for energy efficiency projects.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year for direct recruits.	By deputation or short-term contract failing which by direct recruitment

(11)

Deputation or short-term contract :

(a) Officers of Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings, or Universities, or Recognized Research Institutions, or Autonomous or Statutory Organizations.
(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department or Organizations referred to in (a) above; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of PB 4- Rs 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700 or equivalent in the parent cadre or Department or Organizations referred to in (a) above.

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note
Period of deputation including period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
The Departmental Selection Committee consists of- 1. Secretary, Ministry of Power………………. Chairperson 2. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy…………………………………………….. Member 3. Additional Secretary, Ministry of Power…...............................Member 4. Vice-Chancellor TERI (The Energy and Resources Institute) University, New Delhi………………………… Member 5Director-General, Bureau of Energy Efficiency……………………………………………. Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 10/3/2010-EC]
JYOTI ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.